

क्रमांक.....

निविदा फार्म मूल्य 1000.00 रु0 जी0एस0टी0 सहित

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा ।

निविदा प्रपत्र

सुरक्षा कार्य व्यवस्था हेतु-(तकनीकी बिड)-01

1- निविदादाता का नाम:-

2- निविदादाता का पता :-.....

(अ) स्थाई पता :-.....

(ब) पत्राचार का पता:-.....

पासपोर्ट साईज
की प्रमाणित
नवीनतम फोटो
लगायें

तकनीकी बिड में निम्न प्रपत्र संलग्न करने आवश्यक है:-

3-कार्य अनुभव:-प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न करें ।

4-श्रम विभाग उत्तराखण्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

5- भविष्यनिधि कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

6- जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें ।

7- ई0एस0आई0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

8- पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें ।

9- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें ।

10-विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें ।

11- पसारा (PSARA) लाइसेन्स की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

12-सुरक्षा कर्मियों के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान श्रम विभाग उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड भासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की दरों के अनुरूप मान्य होगी ।

13-निविदा कय हेतु जमा की गयी धनराशि की रसीद का विवरण-(मूल प्रति संलग्न करें)
संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....

14-निविदा के समक्ष अर्नेस्ट मनी का विवरण-(मूल प्रति संलग्न करें)
ड्राफ्ट संख्या/रसीद संख्या.....दिनांक.....धनराशि.....

15-निविदा कोरियर/पंजीकृत अथवा निविदा पेटिका में डाले जाने पर ही मान्य होगी ।

16-निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में सुरक्षा कार्य व्यवस्था हेतु निविदा अंकित की जाय ।

निविदा हेतु शर्तें संलग्न है ।

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम:-.....

पिता का नाम:-.....

पूरा पता :-.....

फर्म का नाम:-.....

क्रमांक.....

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा ।
निविदा प्रपत्र

सुरक्षा कार्य व्यवस्था हेतु—(वित्तीय बिड)—02

1— निविदादाता का नाम:—.....

.....

2— निविदादाता का पता:—.....

.....

(अ) स्थाई पता:—.....

(ब) पत्राचार का पता:—.....

.....

03—सर्विस चार्जेज की दरें (प्रतिशत में)

(अंकों में)—.....

(शब्दों में)—.....

दिनांक:—.....

स्थान:—.....

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम:—.....

पिता का नाम:—.....

पूरा पता :-.....

फर्म का नाम:—.....

मो०/फोन न०.....

उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा । सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने के लिए निविदा की शर्तें

(निविदा लिफाफे के ऊपर निविदादाता का नाम व पता तथा संदर्भित कार्य का उल्लेख किया जाये ।)

1— यह कि निविदा टू-बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे के ऊपर वित्तीय बिड लिखा जायें एवं दोनों लिफाफों को अलग-अलग बन्द कर बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी । तकनीकी बिड में समस्त भार्ते पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी ।

2— यह कि प्रधान प्रबन्धक उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा, एवं सम्बन्धित निविदादाता को जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा जायेगा ।

3— यह कि निविदादाता द्वारा **मु०—10000.00 रु०** (दस हजार रूपया) अर्नेस्टमनी के रूप में संघ कोषागार में जमा कर रसीद की छाया प्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी । बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति में ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करनी होगी । अन्यथा निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4— यह कि संदर्भित कार्य की अवधि एक वर्ष तक होगी । परन्तु आवश्यकता पडने पर इस अवधि को प्रथम पक्ष द्वारा तीन-तीन माह के लिये दो बार बढ़ाई जा सकती है, जिसे द्वितीय पक्ष को मानना अनिवार्य होगा ।

5— यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के आदेशनुसार/निर्देशानुसार संस्था के सुरक्षा कार्यों का निष्पादन करना होगा ।

6—यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड भासन की क्रय वरीयता नीति 2019—शासनादेश सं० 1542/VII-3-19/143—उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की भार्ते के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी । पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा ।

7— सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धित अभिलेखों को लेखांकन करने हेतु स्टेशनरी, प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

8— यह कि दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में प्रयुक्त होने वाली खाली एवं भरी केन—क्रेट तथा दुग्धशाला एवं स्टोर से जो भी सामान (दूध एवं दुग्ध पदार्थों सहित) बाहर जायेगा । या बाहर से अन्दर आयेगा, उसका अभिलेख सुरक्षा कर्मियों द्वारा रखा जायेगा ।

9— यह कि दुग्धशाला परिसर में बाहरी व्यक्तियों को बिना आज्ञा से प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा ।

10— यह कि द्वितीय पक्ष कार्य सम्पादित करने में सक्षम शारीरिक रूप से स्वस्थ, जो अच्छी तरह लिख तथा पढ सकें ऐसे सुरक्षा कर्मियों को ही कार्य में लगायेगा ।

11— यह कि द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मी 50 वर्ष से कम आयु के हो ।

12— यह कि द्वितीय पक्ष की संस्था में जहां भी सुरक्षा गार्ड तैनात रहेगें सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी ।

13— यह कि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा कर्मी मादक पदार्थों (बीडी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू आदि) का सेवन नहीं करेगा ।

- 14—यह कि जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत की जायेगी, उस द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की नाममात्रिक की सदस्यता ग्रहण करनी होगी । जिसके लिए **मु0-25.00 रु0 (पच्चीस रूपया)** । सदस्यता शुल्क संस्था के कोषागार में नगद जमा करेगा ।
- 15— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये प्रति माह बिल के समक्ष सुरक्षा कर्मियों के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान श्रम विभाग उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड भासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की दरों के अनुरूप प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा, तथा उत्तराखण्ड भासन के **श्रम नियमों के अनुसार मजदूरी का भुगतान** किया जायेगा । जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान नियमानुसार समय से करना होगा ।
- 16— यह कि सरकार द्वारा लगाये गये आयकर की कटौती द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे बिल से करते हुए आयकर विभाग में जमा की जायेगी ।
- 17— यह कि **जी0एस0टी0** जमा कराने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किया जायेगा ।
- 18— यह कि द्वितीय पक्ष को श्रम संविदा अधिनियमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड भासन के **श्रम विभाग में पंजीकरण** होना अनिवार्य है तथा वांछित लाईसेन्स जो वैध हो प्राप्त कर उसकी स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी जिसकी मूल प्रति अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करनी होगी ।
- 19— यह कि द्वितीय पक्ष को **कर्मचारी भविष्य निधि(ई0पी0एफ0) कार्यालय उत्तराखण्ड** में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी जिसकी मूल प्रति अनुबन्ध के समय प्रस्तुत करनी होगी ।
- 20— यह कि निविदा के साथ निविदादाता को जिला मजिस्ट्रेट या उनके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया गया, चरित्र प्रमाण पत्र एवं एक पासपोर्ट साईज की स्वं प्रमाणित फोटो निविदा के साथ संलग्न करनी होगी तथा पैन कार्ड की छाया प्रति स्वं प्रमाणित निविदा के साथ संलग्न करनी होगी ।
- 21— यह कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का दुर्घटना बीमा कराना होगा । इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति सेवा प्रदाता एवं कार्मिकों द्वारा परस्पर सहमति से की जायेगी ।
- 22— यह कि द्वितीय पक्ष को **जी0एस0टी0** विभाग एवं **ई0एस0आई0** में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा विगत 03 वर्षों का आयकर विभाग में दाखिल रिटर्न की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी ।
- 23— यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारियों (नियमित/संविदा/कान्ट्रैक्टरों के माध्यम से) को बाहर जाते समय तथा अन्दर आते समय चैक करना होगा । यदि किसी के पास मादक पदार्थ पाये जाते हैं तो ऐसे पदार्थों को गेट पर ही जमा करा कर उसे नष्ट करना होगा ।
- 24— यह कि निविदादाता द्वारा श्रमिकों का निर्धारित **ई0पी0एफ0, ई0पी0एफ0** कार्यालय में जमा करना होगा तथा प्रत्येक माह श्रमिकों के **ई0पी0एफ0** जमा की रसीद श्रमिकों को उपलब्ध करायी जायेगी । निविदादाता द्वारा बिल के साथ पिछले महीने के **ई0पी0एफ0** जमा रसीद के साथ फर्म न0-31/ई0सी0आर0 की प्रति भी उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी, ऐसा न करने की स्थिति में संस्था द्वारा अनुबन्ध को कभी भी समाप्त करने का अधिकार होगा ।
- 25— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मासिक रूप से कार्मिकों को **ई0पी0एफ0** मद में कर्मचारीवार जमा की गयी धनराशि का विवरण की एक प्रमाणित प्रति प्रशासन अनुभाग को उपलब्ध करायी जायेगी ।

26—यह कि निविदादाता द्वारा जमानत की धनराशि मु0—2,00,000.00रु0(दो लाख रुपया) नगद संस्था के कोषागार में जमा करनी होगी । जिसे अनुबन्ध पूर्ण होने के एक वर्ष या आडिट जो भी पहले हो के बाद वापस किया जायेगा ।

27— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों एवं सुरक्षा पर्यवेक्षकों के समस्त वैधानिक क्लेमों का भुगतान द्वितीय पक्ष को करना होगा, प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार के वैधानिक क्लेमों का द्वितीय पक्ष व उसके द्वारा ठेके पर लगाये गये कर्मियों को नहीं करेगा तथा समस्त प्रकार के वैधानिक क्लेमों के भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी ।

28—यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे ।

29— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों से नियमानुसार दिन में 08 घन्टे से अधिक का कार्य नहीं लिया जायेगा तथा प्रत्येक सुरक्षा कर्मी का साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा ।

30— यह कि द्वितीय पक्ष के किसी सुरक्षा कर्मी की दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने की दशा में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा, इस स्थिति में प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । कार्य के दौरान यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना होती है तो उसके प्राथमिक उपचार पर हुए व्यय अधिकतम मु0—5000.00 रु0 की प्रतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी ।

31— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों को आकस्मिक परिस्थिति जैसे—कानून व्यवस्था, औद्योगिक विवाद आदि से उत्पन्न स्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने व सुरक्षा कार्य के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी ।

32— यह कि द्वितीय पक्ष का कोई भी स्टाफ का सदस्य, किसी भी यूनियन ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं होगा ।

33— यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि जैसे—अवशीतन केन्द्र प्रभारी, प्रबन्धक (प्रशासन), के द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा ।

34—यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये गनमैनों की बन्दूकों के लिये कारतूस की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । इसके लिये गन चार्जज मु0—500.00 रु0 (पांच सौ रुपया) प्रतिमाह पृथक से देय होगा । यह दरें प्रति गनमैन की होगी ।

35— यह कि प्रथम पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड्स गनमैन की व्यवस्था में संस्था को घटाने—बढ़ाने की सूचना द्वितीय पक्ष को देने पर तदनुसार व्यवस्था करनी होगी, ऐसी दश में द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था न करने पर कोई क्षति होने की दशा में हुई क्षति की वसूली प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से कर ली जायेगी ।

36— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कार्मिकों में यदि किसी भी सुरक्षा कर्मी को मादक पदार्थों का सेवन किये हुए पाये जाने की दशा में उस सुरक्षा कर्मी को द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की सूचना पर तत्काल कार्य से पृथक करना होगा, कार्य से पृथक करने उपरान्त पुनः उस सुरक्षा कर्मी को ड्यूटी पर नहीं लिया जायेगा ।

37—यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने होंगे, जिसके लिये सर्विस चार्ज द्वितीय पक्ष द्वारा निविदा में दी गयी दरों के अनुरूप प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान किया जायेगा । श्रम विभाग अथवा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय—समय पर दरों में परिवर्तित होने की दशा में संशोधित दरों के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय

पक्ष को भुगतान देय होगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रशासनिक चार्ज/अन्य कोई भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा देय नहीं होगा ।

38— यह कि द्वितीय पक्ष को सुरक्षा कार्यों की सथ ही मुख्य दुग्धशाला/कार्यालय/अवशीतन केन्द्र पर आने वाले व्यक्तियों, वाहनों के आवागमन का विवरण दैनिक पंजिका में दैनिक रूप से रखा जायेगा ।

39— यह कि द्वितीय पक्ष को समस्त सुरक्षा कर्मियों के ई0पी0एफ0, की समस्त जिम्मेदारी वहन करनी होगी । प्रथम पक्ष की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । ई0पी0एफ0 मध्ये नियोक्ता अंशदान का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जायेगा । जिसको जमा कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । ई0पी0एफ0 जमा कराने पर होने वाले अन्य व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं वहन किये जायेंगे, तथा समस्त अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर तातारीख तैयार करने होंगे ।

40— यह कि द्वितीय पक्ष के समस्त सुरक्षा कर्मियों का मासिक वेतन भुगतान का अभिलेख श्रम विभाग द्वारा निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को भुगतान करना होगा ।

41— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों के कार्यों का मासिक बिल प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु नियमित रूप से प्रत्येक माह की 04 तारीख तक प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करना होगा । यह भुगतान बिल प्रस्तुत करने की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा ।

42— यह कि द्वितीय पक्ष अपने व्यय पर सुरक्षा कर्मियों को कोई ऐसा बैज या चिन्ह तथा प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित वर्दी उपलब्ध करायेगा, जिससे उसकी सुरक्षा कर्मियों की पृथक पहचान हो सकें । मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों/सुरक्षा पर्यवेक्षक को काले रंग का चमड़े का जूता प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया सुरक्षा कर्मी साफ एवं स्वच्छ रूप से वर्दी में ड्यूटी पर तैनात रहें जिसमें ऑचल ब्राण्ड लोगो लगाना अनिवार्य होगा ।

43— यह कि प्रथम पक्ष को खटीमा स्थित कार्यालय, स्टोर, दुग्धशाला व अवशीतन केन्द्रों जहाँ भी द्वितीय पक्ष द्वारा उनके कर्मी तैनात किये गये हैं, पर अवॉछित घटना होने पर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाने में द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा दर्ज करायी जायेगी जिसकी सूचना प्रथम पक्ष को तत्काल दी जायेगी ।

44— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कार्य स्थलों में तैनात कर्मियों के मासिक वेतन के भुगतान का विवरण द्वितीय पक्ष द्वारा पृथक वेतन भुगतान पंजिका में तैयार किया जायेगा, जिसे नियमित रूप से प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी/प्रबन्धक(प्रशासन) से अवलोकन कराया जायेगा, यदि भुगतान में अनियमितता पायी जाती है/शिकायते प्राप्त होती है तो प्रथम पक्ष के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को सीधे भुगतान करने का अधिकार होगा । यदि किसी सुरक्षा कर्मी द्वारा भुगतान सम्बन्धी शिकायत करता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा सुरक्षा कर्मी को कार्य से पृथक नहीं किया जा सकेगा ।

45— यह कि द्वितीय पक्ष की लापरवाही से प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष को होगा तथा इस क्षति की वसूली द्वितीय पक्ष से कर ली जायेगी ।

46— यह कि प्रथम पक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये 15 दिन के नोटिस पर यह अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है ।

47— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा लगाये गये सभी कर्मियों को निर्धारित समय पर अधिनियमों का पालन करते हुये भुगतान सुनिश्चित करना होगा ।

48— यह कि यदि सेवा प्रदाता का कार्मिक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है या संस्था को किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है तो उस पर जुर्माना (पैनाल्टी) लगाने का अधिकारी प्रथम पक्ष के पास होगा । जुर्माना (पैनाल्टी) की वसूली सेवा प्रदाता के बिल से की जायेगी ।

49— यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अनुबन्धित कार्यों को करवाये गये श्रमिकों का समस्त वैधानिक क्लेम की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी । सन्दर्भित कार्य में द्वितीय पक्ष द्वारा लगाये गये श्रमिकों का ई0पी0एफ0 मध्य नियोक्ता का अंशदान आदि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जायेगा । जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा अपने व्यय पर जमा कराना होगा ।

50— यह कि यदि प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के कार्य कलापों के कारण किसी न्यायालय में वाद इत्यादि पर व्यय/जुर्माना अदा करना होता है तो उसके लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा । इस प्रकार के वादों में हुये व्ययों की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी । जिसकी क्षतिपूर्ति उनके देय बिलों से प्रथम पक्ष द्वारा कर ली जायेगी ।

51— यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा जिस स्थान हेतु प्रथम पक्ष आदेशित करेगा वहां की सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा गार्ड, सुपरवाईजर व गनमैन आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे ।

52— यह कि निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ पैन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी ।

53—यह कि निविदा हेतु निर्धारित अर्हता (तकनीकी एवं वित्तीय) पूर्ण न होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

54— यह कि एक कार्य हेतु एक निविदादाता द्वारा केवल एक ही निविदा भरी जायेगी, एक निविदादाता द्वारा दो निविदा भरी जाने पर वह दोनों निविदाएँ स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी ।

55—यह कि यू0सी0डी0एफ0 की वेबसाइट www.ucdfaanchal.org से निविदा पत्र डाऊन लोड करने पर मु0—1000.00रु0 बैंक ड्राफ्ट उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा के नाम से संस्था के पक्ष में देय हो पृथक से संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

56— यह कि निविदा विक्रय, प्राप्ति तथा खोलने का कार्यक्रम दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है ।

57—यह कि निविदादाता की निविदा दर समान होने पर निविदा निम्नवत निस्तारित की जायेगी ।

प्रथम वरीयता डेरी व्यवसाय में कार्यरत अनुभवी फर्म को वरीयता दी जायेगी ।

द्वितीय वरीयता टर्न ओवर विगत वर्ष के आधार पर फर्म को वरीयता दी जायेगी ।

तृतीय वरीयता लाटरी सिस्टम द्वारा फर्म को वरीयता दी जायेगी ।

58— यदि कोई निविदादाता/फर्म प्रेषित निविदा दरों में शून्य शुल्क (निल चार्ज) अंकित करता है तो वह निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा निविदा दशमलव के दो अंक बाद तक ही मान्य होगी । सर्विस चार्ज ऋणात्मक में स्वीकार नहीं होंगी ।

59—यह है कि पसारा (PSARA) प्रमाण पत्र की स्वं प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है तथा संस्था में सुरक्षा गार्ड पसारा (PSARA) के अनुरूप ही रखें जायेंगे ।

60—यह कि निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों से ही संस्था के प्रशासनिक भवन को खोलने एवं बन्द करने का कार्य किया जायेगा जिसका परिपालन करना अनिवार्य है ।

61— यह कि निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्ड जो संस्था की दुग्धशाला में कार्यरत है की उपस्थिति गेट पर लगी फेस बायोमेट्रिक मशीन से लगानी होगी इसी के आधार पर उपस्थिति प्रमाणित होगी ।

62— यह है कि निविदादाता द्वारा मुख्यदुग्धाला खटीमा में 13 सुरक्षा गार्ड एवं दुग्ध अवयशीतन केन्द्र रूद्रपुर में 04 सुरक्षा गार्ड, दुग्ध अवशीतन केन्द्र बाजपुर में 04 सुरक्षा गार्ड तथा दुग्ध अवशीतन केन्द्र लालपुर(जसपुर) में 01 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने होंगे । संस्था की आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड घटाये एवं बढ़ाये जा सकते हैं ।

63—यह कि निविदा निष्पादन के उपरान्त किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद का अन्तिम निर्णय निबन्धक दुग्ध समितियों—उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

निविदादाता की घोषणा

सुरक्षा कार्य व्यवस्था हेतु प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न निर्धारित भर्तों को भली भाँति पढ़ लिया गया है । मैं निविदा की भर्तों के अनुसार सुरक्षा गार्ड उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिए सहमत हूँ ।

उपर्युक्त प्रविष्टियों मैंने स्वयं भरी/भरवायी है, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही हैं । यदि कोई भी सूचना/सूचनाये गलत पायी जाती हैं, तब संस्था को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

पूरा पता.....

.....

.....